

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....785 व 786/2014..... जिलाश्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, एफ 23-26, इण्डस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर
बनाम

अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/2014	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के स्थगन आदेश क्रमशः 237 व 238/2013-14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक—पृथक आदेश दिनांक 23.4.2014 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक—पृथक रखी जा रही है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों के साथ पेश किये गये स्थगन प्रार्थना—पत्रों को अस्वीकार किया है।</p> <p>प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान कच्चा माल नरमा व देसी कपास से रुई, बिनौला, बिनौला तेल (करयोग्य उत्पाद) व बिनौला खल (करमुक्त पशु आहार) निर्माण कर विक्रय किया गया है एवं कच्चे माल पर चुकाये गये वैट का विधि अनुसार आई.टी.सी. चाहा गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18, 26, 58 व 61 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.2.2014 से स्वीकार किया गया, किन्तु उक्त आदेशों को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित करते हुए संशोधन आदेश दिनांक 20.3.2014 में करमुक्त विक्रय किये गये माल पर वेट अधिनियम की धारा 18(1)(e) के तहत आनुपातिक रूप से आगत कर का मुजरा अस्वीकार किया गया है। सृजित मांग की वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना—पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गई।</p> <p>अपीलार्थी ने विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर 32 टैक्स अपडेट पेज 3 के निर्णय की अनुपालना में आनुपातिक आगत कर का दावा अस्वीकार किया है, जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति</p>	लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....785 व 786/2014..... जिलाश्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, एफ 23-26, इण्डस्ट्रियल एरिया, घडसाना, श्रीगंगानगर
बनाम

अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/2014	<p>याचिका दायर की जा चुकी है, जिसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय A.I.R. 1992 SC 959 के आधार पर उक्त दुर्गश्वरी प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय के आधार पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स रुची सोया इण्डस्ट्रीज में निर्णय में 21 वेट रिपोर्टर 123 में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई। माननीय मध्यप्रदेश न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्गश्वरी प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु संलग्न किया गया है। उनका कथन कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्गश्वरी प्रकरण में याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में भी वसूली पर रोक प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। अग्रिम कथन किया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी न्यायालय के समक्ष किसी प्रकरण में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उद्विरित किया गया हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अभाव में क्षेत्राधिकारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करनी चाहिए तथा उक्त दोनों के अभाव में अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना की जानी चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने SPCWP No. 2196 / 2011 मैसर्स नवदुर्गा इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में स्थगन आदेश दिनांक 28.3.2014 स्वीकृत किया गया है, इसलिए प्रस्तुत प्रकरणों में समान तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्थगन स्वीकार किये जायें। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये हैं, जो कि समयावधि पार हैं। तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2013) 20 वेट रिपोर्टर 233 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम ईगल रबर इण्डस्ट्रीज को उद्विरित किया है। यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 26 के तहत मूल कर निर्धारण से बचे हुए टर्नओवर पर कर निर्धारण किया जा सकता है। प्रकरणों में कोई टर्नओवर बचा हुआ नहीं था। मात्र राय परिवर्तन के आधार पर आई.टी.सी. प्रतिवर्तन किया गया है। इसलिए भी कर निर्धारण अविधिक है। तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय (2004) Current Tax</p>	लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील पंख्या.....785 व 786 / 2014..... जिलाश्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, एफ 23-26, इण्डस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर
बनाम

अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/2014	<p>Judgment P. 448 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम श्री आर्युर्वद को उद्धरित किया है। अग्रिम कथन यह भी किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार कर नॉन-स्पीकिंग आदेश पारित किये हैं, जिनमें यह वर्णित नहीं किया गया है कि प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में क्यों नहीं है ? तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के (2013) 58 वी.एस.टी. 53 शौभा सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रकरण का दृष्टांत पेश किया है।</p> <p>उक्त आधारों पर प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।</p> <p>प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुये कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण में (32 टैक्स अपडेट 03) के अनुसरण में विवादित मांग सूजित की हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स भारत पैट्रोलियम प्रकरण AIR 1992 SC 959 को विचारित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार निर्णय पारित किया है। इसलिए माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय 21 वेट रिपोर्टर 123 का अनुसरण किये जाने योग्य नहीं है। अग्रिम कथन किया कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति पर रोक नहीं लगायी गई है, इसलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किये गये हैं। अग्रिम कथन यह भी किया कि अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में विवादित अपील आदेश पारित किये हैं जो कि पूर्णतया स्पीकिंग आदेश हैं। अग्रिम कथन यह भी किया कि अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश से पूर्व इस हेतु जारी सम्मन 5 वर्ष की समयावधि के भीतर जारी किये गये हैं, इसलिए कर निर्धारण समयावधि पार नहीं है। अन्त में कथन किया कि अधिनियम की धारा 26 के तहत किसी कारण से छूटे हुए टर्नओवर पर करारोपण किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा अविधिक रूप से आई.टी.सी. का मुजरा लिया गया था, इसलिए इस प्रावधान के तहत कर निर्धारण पूर्णतया विधिसम्मत हैं।</p>	 लगातार.....4

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....785 व 786/2014..... जिलाश्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, एफ 23-26, इण्डस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर
बनाम

अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 4 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/2014	<p>विद्वान उप-राजकीय अधिकारी ने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के तर्कों का उक्त अनुसार खण्डन करते हुए अपीलार्थी की अपीले अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों व अपीलीय आदेशों का अवलोकन करने, अपील आधारों एवं उद्धरित न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण (32 टैक्स अपडेट 03) में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका विचारार्थ स्वीकार किये जाने के साथ रोक स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए विधि के मान्य सिद्धान्त अनुसार क्षेत्राधिकारित उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावी रहते अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय पर विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के S.B.C.W.P. No. 2196/2011 स्थगन आदेश को उद्धरित किया है। निर्णय के साथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग के मांगपत्र की छायाप्रति संलग्न गई है, लेकिन प्रकरण में विवादित बिन्दु की स्पष्टता के अभाव में निर्णय इन प्रकरणों में लागू नहीं किया जा सकता। प्रकरणों में अधिनियम की धारा 26 के तहत कर निर्धारण न तो अवधिपार नोटिस के आधार पर पारित किये गये हैं, न ही राय परिवर्तन का बिन्दु निहित है।</p> <p>अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेशों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण में पारित निर्णय के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी विभाग के पक्ष में पाते हुये वसूली पर रोक संबंधी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये हैं। अतः इस पीठ के सुविचारित मत में प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने के कारण अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी की अपीले अस्वीकार की जाती हैं।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p>	 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर